


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही नये इतिरायत्स जण</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम को नये हुकम को नये में जारी हु</p>
<p>18/5/21</p>	<p>उभय पक्ष रूप में अवकाशिन अधिकारी राष्ट्रीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / कटौती के अतः पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>29-6-21</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिमापकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/परिहार रखने से पत्रावली दिनांक 30/6/21 को पेश हो।</p>	
<p>29/10/21</p>	<p>पत्रावली प्रशासन गांवों के लोग अभियान 2021 के रूप में पंचायत गांव में पेश हुई, प्रार्थीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए एवं पथार हलका पथारी द्वारा मौक रिपोर्ट पेश हुई जिसे शा.पठ किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रपत्र से लिखा जाकर शा.पठ किया गया। पत्रावली के लिए शुगर होकर नम्बर सी नम हो।</p> <p style="text-align: right;">  डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 </p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 185/20 प्र. 47

1- श्री गंगादीश चण्ड 310 श्री कल्याण ब्राह्मण किसानी गंगारा तहसील मांडल

बनाम

1- श्री राजेश चण्ड होगा लखार किसानी गंगारा तहसील मांडल (विपक्षीय गण) (सिद्धांकि प्र. 47/1956)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 29-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गंगारा पटवार हल्का गंगारा तहसील मांडल/में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नं. 625, 627, 628, 753 कुल किता 04 रकबा 08 बीघा 2 कठोर 2 मिता 628 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय गण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 2.11.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गंगारा पटवार हल्का गंगारा तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 625, 627, 628, 753 कुल किता 04 रकबा 08 बीघा 2 कठोर 2 मिता भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक गंगारा को 300/- रूपयें कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु का आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा
प्रस्तुत गणों के तम 2021